हिन्दुस्तान • रांची • सोमवार • 13 जून 2016

96 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे देश के 96 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का समुचित लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण वे लोग योजनाओं के बावजूद पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि अब झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अपने पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से उनके कल्याण के लिए काम कर रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जागरूक करने और चल रही योजनाओं के बावत जानकारी देने, उनका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए इसमें झालसा सक्रिय रूप से उनकी मदद कर रहा है।

कार्यक्रम में हिस्सा लेते न्यायमूर्ति डीएन पटेल व अन्य।

तीन तकनीकी सत्र का आयोजनः पैरा लीगल वॉलेंटियर और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जस्टिस पटेल ने कहा कि झालसा का योगदान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा में काफी सफल रहा है। उन्होंने पिछले साल का उदाहरण देते हुए कहा कि झालसा के सहयोग से 60 हजार लंबित मामलों का निष्पादन किया गया और 881 करोड़ रुपये से अधिक राशि का समझौता किया गया। यह आंकड़े स्वयं ही झालसा की सफलता की कहानी कहते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकार न्यायपालिका का अस्त्र : न्यायमूर्ति अनंत विजय सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार न्यायपालिका का वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम सबों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिला सकते हैं। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकार के अस्तित्व में आने की पृष्ठभूमि का जिक्र किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति पीएन भगवती के प्रयासों से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में न्यायपालिका की भूमिका अहम हुई जो अंततः 1987 में एक्ट का रूप लिया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आनंद सेन, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी, एसएन पाठक, अपर महाधिवक्ता और अनेक अधिवक्ता, सभी जिलों से आए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव, पैरा लीगल वॉलेंटियर ने भाग लिया।

प्रभात खबर
रांची, सोमवार
13.06.2016

अधिक प्रश्न पूछें, जानकारी बढ़ेगी : जस्टिस डीएन पटेल

वरीय संवाददाता ▸ रांची

झालसा ने रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन किया

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से रविवार को सभागार परिसर में रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि इस तरह के सेमिनार का आयोजन हर तीन महीने में किया जायेगा, ताकि इसका अधिकाधिक फायदा मिल सके. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हमें काफी प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो झिझक है, वह समाप्त हो और हमारी जानकारी बढ़े.

उदघाटन सत्र के बाद तीन तकनीक सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में लोक अदालत व मेगा लोक अदालत लगा कर अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है. इस दौरान 881 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ है, जिसमें 94 लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिये गये. कुल 60 हजार मामलों का निष्पादन किया गया. उन्होंने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट का सक्सेस रेट 64.86 प्रतिशत है, जो दूसरे कई हाइकोर्ट से ऊपर है. सम्मानित अतिथि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेश उपाध्याय ने कहा कि समाज कल्याण के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सभी को मालूम है. हमारा काम है कि हम इसे बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करें. झारखंड एक जनजातीय राज्य है, इसके विकास व यहां रहनेवाले लोगों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करना हम सबों का काम है. मौके पर झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश एवी सिंह ने भी अपने विचार रखे. मौके पर नालसा के आलोक अग्रवाल सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे. संचालन संतोष कुमार व धन्यवाद ज्ञापन न्यायिक आयुक्त नवनीत कुमार ने किया. मौके पर सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किया गया. उदघाटन सत्र के बाद तीन तकनीक सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी.

देश-विदेश
दैनिक भास्कर, रांची, सोमवार, 13 जून, 2016

मामलों के निष्पादन में झारखंड हाईकोर्ट देशभर में सबसे आगे : जस्टिस डीएन पटेल

सिटी रिपोर्टर | रांची

डोरंडा स्थित न्याय सदन में रिफ्रेशर कोर्स के सेशन में हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य है, जहां मामलों का निष्पादन सबसे अधिक 64.86 फीसदी की दर है। राज्य द्वारा मेगा लोक अदालत और लोक अदालत के माध्यम से वर्ष 2015 में 60 हजार मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 94 लाख लोग लाभांवित हुए। साथ ही यह भी कहा कि 881 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया।

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस परेश उपाध्याय ने जनजातीय लोगों से जुड़े कानूनों के बारे में और भी विस्तृत व्याख्या और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने जनजातियों के बीच नालसा द्वारा बताए गए सात योजनाओं को गंभीरता पूर्वक पालन की बात कही। साथ ही मामलों के निष्पादन के लिए एडीआर तकनीक को अपनाने पर जोर दिया।

न्याय सदन में रिफ्रेशर कोर्स सेशन में अपनी बातें रखते जस्टिस डीएन पटेल।

तीन सत्रों में चला रिफ्रेशर कोर्स, लोक अदालतों पर फोकस

जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता में डालसा के सचिव, पारा लीगल वॉलेंटियर और रिटेनर लॉयर के लिए न्याय सदन रांची में रिफ्रेशर कोर्स का सेशन तीन पालियों में चला। प्रथम पाली में मेगा लोक अदालत, लोक अदालत और इसे आयोजित करने वाले डालसा और झालसा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जबकि द्वितीय व तृतीय सत्र में इसके तकनीकी पहलू का चर्चा की गई।

the pioneer

RANCHI | MONDAY | JUNE 13, 2016

JHALSA sets record in case mediation

Justice DN Patel of Jharkhand High Court along with Justice Paresh Upadhyay, High Court Gujarat, and other senior Judges releases a book during the Refresher Training Programme for Sensitisation of Secretaries of DLSAs/ SDLSCs of the State of Jharkhand at Doranda Nayay Sadan in Ranchi on Sunday Vinay Murmu | Pioneer

PNS ■ RANCHI

Executive Chairman of Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) and Jharkhand High Court Judge Justice DN Patel said that in the year 2015, JHALSA succeeded in settling matters worth Rs 881 crore and has disposed of more than 60,000 cases pending in different courts of the State. Success rate of mediation in the State has also increased up to 50 per cent till date this year which was 45 per cent during the preceding year.

Justice Patel was speaking at Nyaya Sadan in Ranchi during a Refresher Training Programme for Sensitisation of Secretaries of DLSAs/SDLSCs of the State of Jharkhand along with Retainer Lawyers and Front Office PLVs.

Even the success rate of mediation of Jharkhand High Court has reached up to 64 per cent which is slightly higher than that of the last year," said Justice Patel. The purpose of this seminar itself was to understand the decorum of the post of DLSA/ SDLSA Member Secretaries one has been entrusted with, realize the dimension of its work and get going, added the Jharkhand High Court Judge.

"Please carry forward the legacy of JHALSA as it has been rated under position 1 to 5 among all the states in the Country," appealed Justice Patel. The Programme was also attended by Gujarat High Court Judge Justice Paresh Upadhyaya, Justice A V Singh, Principal Judicial Commissioner Ranchi Navneet Kumar, Member Secretary NALSA Alok Agrawal, Jhalsa member Secretary A K Rai along with the other Judges of Jharkhand High Court.

Entire seminar was divided into three sessions --- "Enhancing Quality of Legal Representation," 'Implementation of NALSA Scheme and Strengthening of ADR Mechanism," and "Timely submission of Statistical information in New Formal of NALSA and full and proper utilization of grants and submission of utilisation certificate in time," on which the distinguished guests taking part in the programme expressed their views and educated the newcomers what to do and what not to do.

During the training programme, stress was put on providing more and more compensation to the victims. Justice Patel further added that such programme will be organized periodically at every 3 months so that time to time queries of DLSA Member Secretaries could be satisfied. NCPC, according to Justice Patel, has chosen 10 centres out of which, 2 are in Jharkhand – Ranchi and Jamshedpur.

खबर मन्त्र
रांची, सोमवार, 13 जून, 2016

न्याय सदन में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन, जस्टिस डीएन पटेल ने कहा

लोक अदालतों में मामलों के निष्पादन से बेहतर परिणाम

संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि राज्य में मध्यस्थता व लोक अदालत के माध्यम से काफी वादों को सफलतापूर्वक सुलझाया जा रहा है। जो देश के अन्य राज्यों से बेहतर परिणाम दे रहा है। वर्ष 2015 में लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत में 60 हजार से अधिक वादों को सुलझाया गया था। साथ ही 881 करोड़ रुपए का सैटलमेंट भी किया गया। इतना ही नहीं स्थायी लोक अदालत में 9578 मामले सुलझाएं गये। राज्य के 4688 व्यक्तियों को लीगल एड दिया गया।

जस्टिस डीएन पटेल रविवार को झारखंड स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी (झालसा) के तत्वावधान में डोरंडा स्थित न्याय सदन में आयोजित रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं व पीएलवी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पारा लीगल वॉलेंटियर्स (पीएलवी) से मुफ्त में सेवा नहीं लेना है। काम का बिल ले और उसका भुगतान हर महीने

रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल व अन्य न्यायाधीश।

करें। विधिक जागरूकता के लिए मिलनेवाली राशि खर्च होनी चाहिए। यह व्यवसाय नहीं है कि खर्च कम करके मुनाफा दिखाना है। जस्टिस श्री पटेल ने कहा कि राज्य के 229 पीड़ितों को मुआवजा दिलाया गया है। यहां मेडिएशन का सक्सेस रेट 50 फीसदी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तीन महीने में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। गुजरात हाइकोर्ट के न्यायाधीश परेश उपाध्याय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नालसा के योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचना ही आपकी सेवा है। यह काम आपका सर्विस में आता है। इसे स्वीकार करते हुए करना है। गांधीजी ने विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात कही है। इसे साकार करना हमलोगों का दायित्व बनता है। हाइकोर्ट के जस्टिस एवी सिंह ने कहा कि लीगल सर्विस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। झालसा सचिव एके राय ने विषय प्रवेश किया। धन्यवाद ज्ञापन सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने किया। कार्यक्रम में नालसा व झालसा के रूल्स-रेगुलेशन पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर न्यायायुक्त सह हाइकोर्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी के सदस्य सचिव संतोष कुमार ने किया। एक दिवसीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में नालसा के सदस्य सचिव आलोक अग्रवाल, जस्टिस आनंद सेन, एएजी जय प्रकाश, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी, एसएन पाठक, जिलों के डालसा सचिव, रिटेनर लॉयर्स, फ्रंट ऑफिस पीएलवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

रांची एक्सप्रेस
रांची, सोमवार 13 जून, 2016

डोरंडा सभागार में चल रहा झालसा के रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम

लीगल एड चैरिटी नहीं बल्कि हक है : जस्टिस पटेल

● लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत में 60 हजार मामलों का निष्पादन

रांची : लीगल एड चैरिटी नहीं बल्कि हक है। जो पैसा खर्च के लिए आ रहा है उसे लीगल वे में खर्च करें। जो लाभुक है उन तक रुपया पहुंचे। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें हर माह पैसा देते रहे।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(झालसा) द्वारा न्याय सदन, डोरंडा सभागार में आयोजित रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि जस्टिस डीएन पटेल ने उक्त बातें कही।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत में 60 हजार मामलों का निष्पादन हुआ है। साथ ही आठ सौ एकासी करोड़ रुपये का सेट्लमेंट भी किया गया। स्थायी लोक अदालत में 9578 मामलों का निष्पादन किया गया। इतना ही नहीं राज्य में 4688 व्यक्तियों को निःशुल्क लीगल एड दिया गया। इसके अलावा राज्य में 229 पीड़ितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया। जस्टिस पटेल ने कहा कि राज्य में मध्यस्थता की सफलता रेट बेहतर है।

समारोह को संबोधित करते मुख्य अतिथि जस्टिस डीएन पटेल एवं उपस्थित अतिथिगण।

विशिष्ट अतिथि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस परेश उपाध्याय ने कहा कि लीगल एड मामले में झारखंड पूरे देश में अव्वल है। आदिवासी के लिए नालसा की बनायी स्कीम को पूरे तौर पर लागू करने की जरूरत है। इस मौके पर विधिक सेवा के बारे में दो कंपेडियम का विमोचन भी किय गया।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टि एवी सिंह ने विधिक सेवा के इतिहा पर विस्तार से जानकारी दी तथा सभ को कड़ी मेहनत से काम करने क आह्वान किया। उद्घाटन समारोह के आरंभ में मुख्य अतिथि जस्टिस डीए पटेल, विशिष्ट अतिथि जस्टिस परेश उपाध्याय ने दीप जलाकर प्रोग्राम क उद्घाटन किया। इस मौके पर झालस के सदस्य सचिव एके राय ने स्वाग भाषण दिया । अंत में ज्यूडिशियल कमिश्नर,रांची नवनीत कुमा धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम क संचालन संतोष कुमार ने किया।

इस मौके पर नालसा के सदस्य सचिव आलोक अग्रवाल, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज देवघर सहित झारखंड हाई के वरीय अधिवक्ता एवं सभी जिले के सदस्य सचिव एव अधिवक्ता उपस्थित थे।